The proposals for foreign investment, inter-alia, in the mining sector are received by the Secretariat of Industrial Approvals, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Industry for consideration by FIPB. On the recommendations of the Ministry of Mines, FIPB has approved investment pattern of 33 proposals in the Mining/ Metallurgical sector involving a total investment of Rs. 2312.31 crores. The applications for grant of mineral concessions have to be made to concerned State Governments only and processed as per provision of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

Payment of ad-valorem royalty for minerals

2371. SHRI SATTSH PRADHAN: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a proposal for payment of Advalorem royalty for 17 minerals;

(b) if so, the details of the proposal formulated and its likely financial impact for the current year;

(c) the reaction of the State Governments thereto; and

(d) financial benefits likely to accrue to the State Governments, State-wise as a result of the proposed hike in royalty?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (d) The Central Government constituted a Study Group on 30.1.95 for carrying out detailed revision of rates of royalty and dead rent applicable to major minerals (other than Coal, lignite and sand for stowing). The State Governments were duely consulted by the Study Group. The Study Group submitted its report in November, 1995 and the proposal for revision of royalty rates is under consideration of the Government.

खानिज वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक सम्मेलन

2372. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1996 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय खनिज वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस सत्र में किन-किन विषयों पर विचार –विमर्श किया गया और क्या-क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) किन-किन विषयों पर चर्चाएं की गई/निर्णय लिये गए?

इस्पाल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बिरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) अखिल भारतीय खनिजविज्ञों तथा भूविज्ञानियों का ऐसा कोई सम्मेलन दिसम्बर, 1996 में नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया। तथापि राज्यों के मंत्रियों । सचिवों का एक सम्मेलन 26-27 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राज्यों के मंत्रियों /सचिवों के सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य मदों पर चर्चा हुई; (1) बड़े क्षेत्रों की अनुमति के लिए नए दिशानिर्देश (2) पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टे देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना (3) खनन संबंधी रिवायतें प्राप्त करने के लिए विदेशी कंपनियोम द्वारा झेली जाने वाली समस्याएं (4) नई खनिज नीति, 1993, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में संशोधन, खनिज रियायत नियमावली 1960 तथा खनिज रियायत विकास नियमावली 1988 (5) पर्यावरन तथा वन संबंधी स्वीकृति (6) संभावित निवेशकों को आंकड़ो की आपूर्ति(7) गवेषण कार्य करने में भारती भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा राज्य सरकारों के साथ झेली। जाने वाली समस्याएं (8) ग्रेनाइट संसाधनों का विकास।

(ग) इस सम्मेलन में लिये गए कुछ मुख्य निर्णयों के अनुसार केन्द्र सरकार ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7(2) तथा 8(2) के तहत इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में निर्दिष्ट खनिजों के बारे में पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टोम के नवीकरण के अधिकार राज्य सरकारों को हस्तांतरित किये है। इसके अलावा, सचिव (खान) भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गाठित की गई है विभिन्न राज्यों के खान और भूविज्ञान सचिव, भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक, फिमि के

महासचिव आदि इसके सदस्य है। समिति के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों, प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और परिवर्तित की गई नीति के अनुरूप बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस /खनन पट्टों की मंजूरी/ नवीकरण में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए उपाय सुझाना शामिल है। इस समिति को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों की मंजूरी / नवीकरण के बारे में राज्य सरकारों को और अधिक शाक्तियां देने और अवैध खनन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में भी विचार करना और इस बारे में सुझाव देना है।

Smelter capacity of NALCO

2373. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the present smelter capacity of the Orissa-based public sector unit, National Aluminium Company Limited (NALCO);

(b) whether Government have a proposal to increase the smelter capacity of that public sector unit during 9th Plan period;

(c) the estimated cost of expansion programme;

(d) whether it has got clearance from the Public Investment Board (PIB);

(e) if so, the action being taken by NALCO to implement its expansion programme; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) The present capacity of smelter of National Aluminium Company Limited is 2,18,000 Tonnes per year.

(b) Yes, Sir

(c) National Aluminium Company Limited has submitted the proposal for expansion of capacity of Smelter from 2,18,000 Tonnes per annum (TPA) to 3,45,000 TPA and capacity of Captive Power Plant from 720 MW to 960 MW at an estimated cost of Rs. 2735.70 crores at price level of December, 1*96.

(d) The proposal is yet to be cleared by Public Investment Board (PIB).

(e) and (f) Does not arise.

मध्य प्रदेश में बन्द किये गये इस्पात संयत्र

2374. **श्री राघवजी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1996-97 के दौरान कितने छोटे, मध्यम और बड़े इस्पात संयंत्र पूरी तरह से या आंशिक रूप से बन्द कर दिये गये है;

(ख) इन संयंत्रों को बन्द किए जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार इन कारणों के समाधान के लिये कोई प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बिरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Modernisation of Bhilai Steel Plant

2375. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether a review of contracts for modernisation of Bhilai Steel Plan had been ordered recently;

(b) if so, whether the review has been completed;

(c) the details of the outcome of review;

(d) the details of the shortcomings found in the grant of contracts by the Plant; and

(e) remedial measures taken in the matter?